

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र



संदेश

आर.के. जैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम अधिशेष वर्षा के साथ समाप्त हो गया है जो देश के स्तर पर लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 109 प्रतिशत था. इस प्रकार से देश में लगातार दो मानसून ऋतुओं के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा हुई है. अत्यधिक वर्षा से देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई. के.ज.आ. संबंधित राज्य सरकारों और एजेंसियों को समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान उपलब्ध करवा कर गैर-संरचनात्मक उपाय के माध्यम से जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने में अपनी भूमिका निभा रहा है. हालाँकि, केंद्रीय और राज्य स्तर पर अन्य उपायों जैसे कि अधिक भंडारण के लिए परियोजनाओं का निर्माण, विशेष रूप से नेपाल में गंगा बेसिन में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र बेसिन में, फ्लड प्लेन जोनिंग इत्यादि के लिए भी और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है.

जलाशय महत्वपूर्ण संपत्ति होती है और इनके कुशल प्रबंधन हेतु उनकी उचित निगरानी की आवश्यकता होती है. के.ज.आ. स्वयं और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से चयनित जलाशयों के अवसादन दर का आकलन करने के लिए अध्ययन कर रहा है. हाल ही में इस प्रकार का मूल्यांकन महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईआरआई), नासिक द्वारा 23 जलाशयों के लिए उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से पूरा किया गया. अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर के.ज.आ. ने

चयनित जलाशयों के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की सिफारिश की है. के.ज.आ. के इन अध्ययनों और सिफारिशों का विवरण इस सूचना पत्र में बाद के खंडों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है.

सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भारत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है और इस संबंध में राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे. एडीबी भारत में वृहद एवं मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सिंचाई के आधुनिकीकरण के लिए सहायता कार्यक्रम (एसआईएमपी) के माध्यम से ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि., भारत सरकार का समर्थन कर रहा है ताकि अधिक से अधिक फसल उत्पादन, सिंचाई जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और फसल जल उत्पादकता में वृद्धि हो सके. एसआईएमपी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. एसआईएमपी के प्रारंभिक चरण (चरण 1) को अगस्त 2020 से शुरू किया गया और के.ज.आ., ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यालय (सीआईएमओ) की स्थापना की गई है.

भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति की छठवीं बैठक मेरी अध्यक्षता में

के.ज.आ., मुख्यालय नई दिल्ली में 08.09.2020 को आयोजित की गई. बैठक के दौरान के.ज.आ. ने उपग्रह डाटा इमेजों नामतः बाढ़ आप्लावन (इनअनडेशन) मानचित्र चित्रण के विश्लेषण द्वारा भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के कुल विस्तार पर अध्ययन प्रस्तुत किया. समिति ने गहन विचार-विमर्श के बाद के.ज.आ. द्वारा किए गए अध्ययन और प्रयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली पर विभिन्न सीमाओं के अधीन सहमति व्यक्त की. आगे, इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि असम, बिहार और ओडिशा राज्यों के संबंध में अध्ययन को वर्तमान वर्ष के बाढ़ के आंकड़ों/उपग्रह प्रतिबिंबों को शामिल करके अद्यतन किया जाएगा. आगे यह निर्णय लिया गया कि बाकी राज्यों के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के मानचित्रों को क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से जमीनी सत्यापन हेतु संबंधित राज्यों को भेजा जाएगा.

माह के दौरान कई चल रही परियोजनाओं जैसे पोलावरम सिंचाई परियोजना, शाहपुरकंडी बांध परियोजना, उत्तर कोयल परियोजना, राजस्थान व सरहिन्द फीडर की रीलाइनिंग की के.ज.आ. में बड़े विस्तार से समीक्षा की गई. प्रस्तावित परियोजनाओं जैसे सोम—सरस्वती बैराज व सरस्वती जलाशय, दूसरी रावी व्यास लिंक, पारबती—कुनो—सिंध (पीकेएस) लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की योजना पर भी हितधारक राज्यों/एजेंसियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई.

राजेंद्र

Stay Protected from Corona

Frequently wash your hands with soap

Wear your mask properly

Maintain safe distance

No Carelessness until there is a Cure



विषय—वस्तु

- भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के वैज्ञानिक आकलन हेतु विशेषज्ञ समिति की छठवीं बैठक
- सीएडीडब्ल्यूएम कार्यान्वयन हेतु पीआईआरसी की 7वीं बैठक
- सोम—सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण पर चर्चा करने के लिए बैठक
- विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएसएमआरएस की गर्वनिंग काउंसिल की 26वीं बैठक
- मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे और आदान—प्रदान पर सुझाव देने के लिए कार्यदल
- शाहपुरकंडी परियोजना—चौथी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा

- दूसरी रावी व्यास लिंक परियोजना—पंजाब सरकार के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- एसआईएमपी
- पोलावरम परियोजना—विशेषज्ञ समिति की छठवीं बैठक
- सर्वेक्षण उपकरण का फील्ड परीक्षण और सीएमआइएस के अंतर्गत समुद्र तट सर्वेक्षण
- सीएमआईएस के विकास पर वेबीनार
- भारत आस्ट्रेलिया जेडब्ल्यूजी बैठक
- अंतर—राज्यीय जल विवाद अधिनियम और भारत की नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में विचार-विमर्श
- सीजीडब्ल्यूए अधिसूचना
- उत्तर कोयल परियोजना के लिए टीईसी बैठक

- धरोई जलाशय का अवसादन (सेडीमेन्टेशन) अध्ययन
- सितम्बर 2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति गांधी सागर बांध के बांध सुरक्षा उपाय
- आईएमसीटी दौरे
- 23 जलाशयों का अवसादन आकलन अध्ययन
- विभिन्न योजनाओं/घटक की वित्तीय प्रगति
- धर्मनगर जल निकास विकास योजना
- राजस्थान व सरहिन्द फीडर की रीलाइनिंग
- इतिहास—सिन्धु जल संधि
- गनील एचईपी मेघालय
- जल क्षेत्र समाचार
- दीर्घा—हिन्दी पखवाड़ा

भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र के वैज्ञानिक आकलन हेतु विशेषज्ञ समिति की छठवीं बैठक

भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक आकलन के लिए मंत्रालय ने अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति ने प्रत्येक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है जिसमें जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिवों को अध्यक्ष और के.ज.आ. के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/निदेशक को सदस्य-सचिव रखा गया है। क्षेत्रीय समितियों को विशेषज्ञ समिति द्वारा तय की गई कार्यप्रणाली, वर्गीकरण, मापदंड के आधार पर अपने संबंधित राज्यों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान, सीमांकन और वर्गीकरण करना है। अब तक विशेषज्ञ समिति की छह बैठकें हो चुकी हैं।

क्षेत्रीय समितियों के सदस्य सचिव शामिल थे।

के.ज.आ. ने उपग्रह डाटा इमेजों नामतः गूगल अर्थ इंजन अपलिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पर लैंडसेट के उपग्रह प्रतिबिंबावली (1984—2019), सेनटीनेल—1 व 2 (माइक्रोवेव व मल्टीस्पेक्ट्रल, 2015—2019) का उपयोग करते हुए, आप्लावन मानचित्र (इनअनडेटेड मैप) के चित्रण का विश्लेषण कर भारत के समस्त बाढ़ आप्लावन क्षेत्र का अध्ययन प्रस्तुत किया।

समिति गहन विचार—विमर्श के बाद के.ज.आ. द्वारा किए गए अध्ययन और प्रयोग की गई कार्यप्रणाली के लिए सहमत हुई। यह सहमति भी हुई कि असम, बिहार और ओडिशा राज्यों के संबंध में वर्तमान वर्ष के बाढ़ के आंकड़ों/उपग्रह इमेजों को शामिल करके अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया कि शेष राज्यों के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के मानचित्रों को क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से संबंधित राज्यों को जमीनी सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वैज्ञानिक आकलन के लिए विशेषज्ञ समिति की 6वीं बैठक श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में के.ज.आ. (मुख्यालय), नई दिल्ली में (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) 08.09.2020 को हुई। प्रतिभागियों में नीति आयोग, आइएमडी, एसओआई, जीएफसीसी, एनआरएससी, डीओएस, के.ज.आ., प्रो. नयन शर्मा, आईआईटी रुड़की एवं प्रो. अरूप के. शर्मा, आईआईटी, गुवाहाटी तथा

सीएडीडब्ल्यूएम कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति की 7वीं बैठक

पीएमकेएसवाई की 99 प्राथमिकता सिंचाई परियोजनाओं के सीएडीडब्ल्यूएम कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन समीक्षा समिति (पीआईआरसी) की सातवीं बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2020 को आयोजित की गई। इसमें ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के.ज.आ. सहित इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित राज्य/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई।



इस बैठक में सीएडीडब्ल्यूएम की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अध्यक्ष, के.ज.आ. ने कहा कि हालांकि सिंचाई क्षमता का निर्माण और उपयोग महत्वपूर्ण है, एकसमान वितरण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) पर जोर दिया और बताया कि कुछ राज्यों द्वारा पीआईएम में अच्छा काम किया गया है।

सोम—सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक

हरियाणा सरकार ने सोम नदी पर एक बांध बनाकर उसका पानी सरस्वती नदी में विपथित करके उसका पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। हरियाणा—हिमाचल प्रदेश सीमा से 400 मीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश में 28.5 मीटर ऊंचे, 2.12 एमसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता वाले कंक्रीट बांध की योजना बनाई गई है। इस परियोजना में हरियाणा राज्य में बांध से 2.45 किमी अनुप्रवाह में 0.45 एमसीएम का कम भंडारण क्षमता का एक बैराज (सोम-सरस्वती बैराज) परिकल्पित है। इस बैराज को बनाने का उद्देश्य बांध से प्रस्तावित सरस्वती जलाशय तक विनियमित प्रवाह को विपथित करना है। सरस्वती जलाशय बैराज से 7.12 किमी अनुप्रवाह में है और पुनर्जीवित सरस्वती नदी के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। सरस्वती जलाशय की समग्र क्षमता 14.75 एमसीएम है। जलाशय में सोम नदी के संपूर्ण पानी को विपथित करने के लिए सरस्वती जलाशय से निकलने वाले पानी के बारे में उपाय निकाल लिया गया है।

संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

इस बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जैसे ही बैठक की कार्यसूची में उल्लिखित बिंदुओं पर कार्रवाई पूरी होगी और अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती हैं तभी से परियोजना के डिजाइन और आरेखण के लिए परामर्शी कार्य औपचारिक रूप से के.ज.आ. द्वारा किया जाएगा। इस बीच हरियाणा सरकार, भूवैज्ञानिक जांच और प्रयोगशाला परीक्षण का कार्य कर सकती है ताकि परामर्श कार्य शुरू होने के बाद आवश्यक डाटा उपलब्ध हो।



इस संबंध में के.ज.आ. में अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में के.ज.आ., यूवाईआरबी, एनआईएच और सिंचाई व जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलेपमेंट बोर्ड (एचएसएचडीबी), हरियाणा सरकार के संबंधित इकाई के अधिकारियों के साथ एक बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 03.09.2020 को आयोजित की गई ताकि 'सरस्वती नदी के पुनरुद्धार पर' हरियाणा सरकार की परियोजना से

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएसएमआरएस की गवर्निंग काउंसिल की 26वीं बैठक

केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला (सीएसएमआरएस), क्षेत्रीय व प्रयोगशाला जांच, भू—रसायन विज्ञान व संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों में विकास गतिविधियों, कंक्रीट प्रौद्योगिकी व निर्माण सामग्री तथा उपरोक्त क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है।

में सीएसएमआरएस की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में डा. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान सीएसएमआरएस द्वारा प्रकाशित विभिन्न तकनीकी गतिविधियों, शोध पत्रों के प्रकाशन, डीपीआर की समीक्षा, डीआरआईपी घटक से संबंधित गतिविधियों की प्रगति, आयोजित किए गए प्रशिक्षणों आदि पर विचार—विमर्श किया गया।

सीएसएमआरएस की एक गवर्निंग काउंसिल है जो अनुसंधान स्टेशन से संबंधित सभी मामलों पर सरकार के लिए एक प्रमुख नीति सूत्रकार एवं सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है और इसके कार्यों के निर्वहन में (1) स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) तथा (2) बजट और कार्यक्रम समिति के माध्यम से सहायता की जाती है। एसटीएसी एक सलाहकारी निकाय है जो तकनीकी मामलों पर सीएसएमआरएस की गवर्निंग काउंसिल की सहायता के लिए गठित की गई है। इसका नेतृत्व केंद्रीय जल आयोग के सदस्य(डीएंडआर) करते हैं।



केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला (सीएसएमआरएस) की गवर्निंग काउंसिल (जीसी) की बैठक श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 11.09.2020 को आयोजित की गई। इस बैठक

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल बंटवारे और आदान—प्रदान के सुझाव हेतु कार्यदल

पारबती —कुनो—सिंध (पीकेएस) लिंक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के बारे में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे, पानी के आदान—प्रदान का सुझाव देने वाले कार्यदल की पहली बैठक श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से 04.09.2020 को आयोजित हुई।

बैठक के दौरान, कार्यदल के अध्यक्ष ने इस मामले की पृष्ठभूमि रखी और बताया कि डब्ल्यूआरडी, राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की आबादी के लिए घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और साथ ही नए कमान क्षेत्र में 2.0 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई और लगभग 0.8 लाख हेक्टेयर मौजूदा कमान को स्थिर करने के लिए प्रस्ताव दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई ईआरसीपी की डीपीआर के.ज.आ. में परीक्षाधीन है। डब्ल्यूआरडी, राजस्थान ने ईआरसीपी को पारबती —कालीसिंध चंबल लिंक के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया ताकि मध्य प्रदेश को भी लाभ हो सके और परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया जा सके। तदनुसार, एनडब्ल्यूडीए ने पारबती —कुनो—सिंध (पीकेएस) लिंक और ईआरसीपी के साथ इसके एकीकरण का पीएफआर तैयार किया। इस पीएफआर को एनडब्ल्यूडीए द्वारा दोनों राज्यों और के.ज.आ. को परिचालित किया गया है। ईआरसीपी की डीपीआर को डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश के साथ भी साझा किया गया है। उन्होंने बताया कि एकीकृत परियोजना से मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों ही राज्यों को लाभ होगा। बैठक में एकीकृत परियोजना में शामिल विभिन्न मुद्दों पर विचार—विमर्श किया गया जिससे कि दोनों राज्यों के स्वीकार्य, विकास की एक योजना बनाई जा सके।

इसके बाद मुख्य अभियंता(उत्तर), एनडब्ल्यूडीए, लखनऊ ने निम्नलिखित मर्दों को

शाहपुरकंडी परियोजना — चौथी वीसी समीक्षा

शाहपुरकंडी बांध परियोजना का निर्माण रंजीत सागर बांध के 11 किमी अनुप्रवाह पर और माधोपुर हेडवर्क्स के 6 किमी अपस्ट्रीम में रावी नदी पर माधोपुर हेडवर्क्स और रावी नहर (जेएंडके) से शुरू होने वाली नहर प्रणाली में सिंचाई तथा रंजीत सागर बांध पावर हाउस में विद्युत उत्पादन दोनों के लिए इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक बैलेंसिंग जलाशय उपलब्ध कराने के लिए हो रहा है। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को फरवरी 2018 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। वर्ष 2018 में मंत्रालय ने सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय परियोजना) और अन्य कार्यों के कार्यान्वयन पर पर्यवेक्षण/निगरानी करने के लिए एक प्रबोधन समिति गठित की।

शाहपुरकंडी बांध परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रबोधन समिति की चौथी बैठक श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से 15.09.2020 को आयोजित हुई। इस बैठक में के.ज.आ. डिजाइन विंग, क्षेत्रीय इकाइयों, पंजाब व जम्मू—कश्मीर राज्य से समिति के सदस्यगण शामिल हुए। समिति ने परियोजना की भौतिक वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। श्री संदीप सलूजा, मुख्य अभियंता, शाहपुरकंडी बांध परियोजना ने परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यों की वर्तमान प्रगति पर परियोजना की एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने भविष्य में


दूसरी रावी व्यास लिंक परियोजना — पंजाब सरकार के साथ वीसी

उझ परियोजना के नीचे दूसरी रावी व्यास लिंक को बनाने की योजना बनाई जा रही है ताकि व्यास बेसिन तक सुरंग के माध्यम से पानी को विपथित करने हेतु रावी नदी पर बैराज का निर्माण करते हुए थीन बांध के निर्माण के बाद भी जो अतिरिक्त पानी रावी नदी के माध्यम से पाकिस्तान में बह जाता है उसका उपयोग किया जा सके। इस परियोजना से अन्य सह-बेसिन राज्यों के लाभ के लिए व्यास बेसिन को लगभग 0.58 एमएफ अधिशेष जल का उपयोग करने की उम्मीद है। भारत सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है।

रावी और उझ नदी से पाकिस्तान में जा रहे निस्सरण का उपयोग करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैयार किए गए पीएफआर पर चर्चा करने के लिए सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ 16.09.2020 को हुई।

देश में 20 प्रमुख बाढ़ प्रवण नदी घाटियों में शासित प्रदेश), गृह मंत्रालय द्वारा बैठक

अपर सचिव, गृह मंत्रालय ने माननीय गृहमंत्री द्वारा 03.07.2020 को ली गई समीक्षा बैठक के संबंध में ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट) पर 14.09.2020 को समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि. विभिन्न हितधारकों के परामर्श से प्लड



शामिल करते हुए एक संक्षिप्त प्रस्तुती दी।

- प्रस्तावित श्रीमंत माधव राव सिंधिया (एसएमआरएस) बांध पर कुनो सब—बेसिन में पानी की उपलब्धता और मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच पानी के बंटवारा।
- प्रस्तावित कुभराज बांध में पारबती उप—बेसिन में पानी की उपलब्धता।
- ईआरसीपी में विभिन्न स्थानों पर पानी की विपथनीय मात्रा का आकलन करने के मानक।

राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य कुनो उप-बेसिन में वाटर बैलेंस के आकलन और कुनो व पारबती उप-बेसिन में पानी के आदान—प्रदान के प्रस्ताव पर सहमत थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कुभराज बांध में और कुभराज बांध के नीचे पारबती उप-बेसिन के वाटर बैलेंस के संशोधित आकलन के साथ-साथ पारबती उप-बेसिन से ईआरसीपी के लिए उपलब्ध पानी के आकलन को अपनी अगली बैठक में कार्यदल के समक्ष रखा जाएगा।



निष्पादित किए जाने वाले घटकों के बारे में भी समिति को जानकारी दी।

सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने परियोजना प्राधिकारियों को हाइडल चैनल (पंजाब में) पर विद्युत स्टेशनों, जम्मू व कश्मीर के हिस्से के मुख्य रावी नहर और बांध के शेष कार्यों से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने जम्मू व कश्मीर के अधिकारियों को भी मुख्य रावी नहर के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले को शीघ्र निपटाने के लिए कहा।



इस बारे में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पंजाब सरकार के अधिकारी, मुख्य अभियंता(आईबीओ), के.ज.आ. के परामर्श से पंजाब की जल आवश्यकता का निर्धारण करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए विवरण प्रदान करने का सुझाव देंगे।

बाढ़ की स्थिति के बारे में अपर सचिव(केंद्र

माडरेशन उद्देश्यों के लिए 10 बांधों के अग्रिम पूर्वानुमान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगा। बैठक के परिणामस्वरूप, सदस्य(आरएम) ने संबंधित माडलिंग निदेशालयों (एफसीए-1 और एफसीए-2) को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है जिससे बांध प्राधिकारियों को मासिक सलाह जारी करने की प्रगति की सूचना मिले। रिपोर्ट तैयारी के अग्रवर्ती चरण में है।

सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता (एसआईएमपी)

देश के अधिक से अधिक राज्यों में राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता सुधार कार्यक्रम (एनडब्ल्यूयूआईएसपी) और अधिक खाद्य कम पानी (एमएफएलडब्ल्यू) में विकसित आधुनिकीकरण रूपरेखा और टूल के उपयोग से एडीबी अब ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि., भारत सरकार को सिंचाई के आधुनिकीकरण के लिए सहायता कार्यक्रम (एसआईएमपी) द्वारा सहयोग कर रहा है। एसआईएमपी ने अधिक से अधिक फसल उत्पादन, सिंचाई जल उपयोग दक्षता और फसल जल उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए भारत में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक बनाने हेतु सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुप्रयोग के साथ उपरोक्त पहल के तहत विकसित ढांचे और उपकरणों का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। इस कार्यक्रम की मुख्य अवधारणा भारत में सिंचित कृषि उत्पादन में सार्थक सुधार प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का उपयोग करके आधुनिकीकरण निवेश में सुधार के साथ राज्यों और केंद्र का समर्थन करना है।

एसआईएमपी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। एसआईएमपी का यह प्रारम्भिक चरण (चरण 1) अगस्त—दिसम्बर 2020 के दौरान शुरू किया गया है। पहले चरण में के.ज.आ., ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यालय (सीआईएमओ) की स्थापना की गई है। यह चरण विशेष रूप से ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. एवं प्रारम्भिक प्रतिभागी राज्यों के साथ एसआईएमपी अवधारणा और कार्यढांचे को अंतिम रूप देगा और कार्यक्रम पर चर्चा करने, विस्तृत एसआईएमपी की डिजाइन तैयार करने, परिधि, कार्यप्रवाह तथा कार्यान्वयन व्यवस्था तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला/वेबिनार आयोजित करेगा।

सिंचाई आधुनिकीकरण पर ज्ञान और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए यह चरण सीआईएमओ, ज.सं., न.वि. एवं गं.सं.वि. और भाग लेने वाले राज्यों (आयोजनों और अध्ययन दौरे बाद के चरण में शुरू किया जाएगा) को लाभ देने के लिए आयोजनों और अध्ययन दौरे का एक कार्यक्रम विकसित करेगा। यह चरण राज्यों को अपनी सिंचाई

पोलावरम परियोजना — विशेषज्ञ समिति की 6वीं बैठक

पोलावरम सिंचाई परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना), आंध्र प्रदेश की विशेषज्ञ समिति की 6वीं बैठक, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 18.09.2020 को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में के.ज.आ. के अधिकारी, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश सरकार, सीएसएमआरएस और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। इस परियोजनाओं की प्रगति की सभी प्रकार से गंभीरता से जांच की गई।

मुख्य अभियंता, पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक घटक की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। आयुक्त, भूमि अधिग्रहण और आरआर परियोजना ने आरएंडआर कालोनियों और पीडीएफ (+35.50 मीटर कंटूर, +41.15 मीटर और +45.72 मीटर कंटूर) पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी जिसमें राजस्व गांवों, मंडलों, पुनर्वासित होने वाले निवास, पश्चिम और पूर्वी गोदावरी जिलों के अंतर्गत स्थानांतरित किए जाने वाले पीडीएफ की कुल प्रभावित संख्या और अब तक की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने इस परियोजना के तहत आवश्यक कुल भूमि, पहले से ही अधिग्रहित भूमि और शेष भूमि अधिग्रहण की स्थिति का भी विवरण दिया। परियोजना के डिजाइन से संबंधित मुद्दों पर भी के.ज.आ. के डिजाइन विंग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सीडीओ, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने समिति को परियोजना के जल्द पूरा होने के लिए पीपीए द्वारा की गई

के.ज.आ. के उपमंडलों के पुनर्गठन के संबंध में बैठक

प्रत्येक क्षेत्रीय संगठनों के अंतर्गत उप—मंडलों की अधिकतम संख्या का आकलन करने के बारे में चर्चा करने के लिए मुख्य अभियंता (एचआरएम) की अध्यक्षता में के.ज.आ. की क्षेत्रीय यूनिटों/संगठनों के मौजूदा अधिकार क्षेत्र और संगठनों की समीक्षा हेतु समिति की तीसरी बैठक 17.09.2020 को आयोजित की गयी।

समिति ने कार्यों के उचित निर्वहन हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में उप—मंडलों को इष्टतम स्तर पर पहुंचाने के लिए के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों को परामर्श दिया। मानदंडों के अनुसार एक उप—मंडल अभियंता (एसडीई) को महीने में कम से कम एक बार अपने

डीआरआईपी

पंद्रहवां विश्व बैंक समीक्षा मिशन

डीआरआईपी कार्यान्वयन एजेन्सियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए 15वीं विश्व बैंक समीक्षा मिशन, 2 से 3 सितम्बर 2020 के दौरान आयोजित किया गया। साथ ही, मार्च 2021 तक योजना के सफल समापन के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में, सीपीएमयू, कार्यान्वयन एजेन्सियों और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्चुअल त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक

डीईए की वर्चुअल त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक 22.09.2020 को आयोजित की गई जिसमें प्रचलित डीआरआईपी की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में ऋण संवितरण के मुद्दे, डीआरआईपी चरण—2 के लिए गतिविधियां, योजना बंद करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीपीएमयू, विश्व बैंक और डीईए के अधिकारियों ने भाग लिया।


आधुनिकीकरण योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए राज्यों को समर्थन देने के लिए रणनीति भी विकसित करेगा, जल संकटग्रस्त राज्यों में एसआईएमपी को बढ़ावा देने और लगभग 3—4 सिंचाई योजनाओं को एसआईएमपी के पहले बैच के रूप में पहचानने में मदद करेगा, जिसके लिए सीआईएमओ राज्यों को सिंचाई आधुनिकीकरण योजनाओं को तैयार करने में मार्गदर्शन करेगा। प्रारम्भिक निवेश परियोजनाओं की प्रकृति के आधार पर स्टाफ और परामर्शदाताओं सहित सीआईएमओ की आवश्यकताओं की पहचान की जाएगी और संसाधित किया जाएगा।

सिंचाई के आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एसआईएमपी) के समर्थन के चरण—1 पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक/वीडियो सम्मेलन 16.09.2020 को आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता, सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. द्वारा की गई। बैठक में मुख्य अभियंता, पीओएमआईओ, के.ज.आ. और निदेशक, ईडब्ल्यू निदेशालय एवं उप निदेशक, आईपीओ निदेशालय, एडीबी के वरिष्ठ अधिकारी तथा परामर्श दल के सदस्य शामिल हुए।




विभिन्न कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

एलएंडआरआर गतिविधियों के अंतर्गत, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने परियोजना अधिकारियों को पहले महत्वपूर्ण कंटूर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना प्राधिकरण से अन्य घटकों के साथ-साथ ओडिशा राज्य में सबरी और सिलेरु नदियों और छत्तीसगढ़ राज्य में सबरी नदी पर सुरक्षात्मक तटबंधों से संबंधित मामलों पर भी ध्यान देने के लिए कहा।



क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्थलों का दौरा करने की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने दौरे के दौरान निस्सरण का प्रेक्षण करना भी अपेक्षित है।

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से अनुरोध किया गया कि वे 12वीं योजना के दौरान नई साइट खोलने के कारण उप—मंडलीय इंजीनियरों (एसडीई) की बढ़ गई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करें। के.ज.आ. के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के विचारों को ध्यान में रखा गया और यह पाया गया कि फील्ड अधिकारियों ने मौजूदा 138 उप—मंडलों के अलावा अतिरिक्त उप—मंडलों का अनुरोध किया है।



सीएमआईएस के अंतर्गत सर्वेक्षण उपकरण का साइट परीक्षण और समुद्र तट सर्वेक्षण

तटीय प्रक्रियाओं पर फील्ड डाटा, दीर्घकालिक योजनाओं और तटीय सुरक्षा उपायों को विकसित करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है. तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) की योजना को भारत सरकार द्वारा इस तरह के डेटा के संग्रह के लिए चल रही 'जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)' योजना के अंतर्गत मंजूरी दी गई थी. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाला (सीडब्ल्यूपीआरएस) को महाराष्ट्र (उत्तरी क्षेत्र) और गुजरात (दक्षिणी क्षेत्र) राज्यों में प्रत्येक साइट पर सीएमआईएस के कार्यान्वयन हेतु कार्य सौंपा गया. परियोजना के हिस्से के रूप में तटीय बैथीमेट्रिक सर्वेक्षण प्रणाली (सीबीएसएस) और जीएनएसएस—आरटीके के दो सेट और समुद्र तट सर्वेक्षण उपकरणों के एक सेट को सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा खरीदा गया है. 16 से 21 सितम्बर 2020 के दौरान सीडब्ल्यूपीआरएस अधिकारियों की टीम ने इन उपकरणों का परीक्षण गुजरात के




नानीदांती - मोती दांती और महाराष्ट्र के सतपती में इन उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में किया. इन उपकरणों के परीक्षण के दौरान के.ज.आ. के दो अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे. एक छोटा सा बैथीमेट्रिक परीक्षण सर्वेक्षण नानीदांती -मोतीदांती में -4 मी से -10 मी और सतपति में - 4 मी से - 10 मी की गहराई को कवर करते हुए किया गया. इसी प्रकार से सीडब्ल्यूपीआरएस के अधिकारियों द्वारा इन दोनों स्थलों पर समुद्र तट का सर्वेक्षण किया गया और विश्लेषण के लिए तलछट के नमूने एकत्र किए गए हैं. दो प्रेशर टाइड गेज का भी परीक्षण सीडब्ल्यूपीआरएस में 16.09.2020 को किया गया है जो लगातार ज्वारीय स्तरों की निगरानी करते हैं और इन्हें शीघ्र ही दोनों साइटों पर भी स्थापित किया जाएगा.

तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली(सीएमआईएस) के विकास पर वेबिनार

गोवा और दक्षिण महाराष्ट्र राज्यों में सीएमआईएस के कार्यान्वयन के लिए एनआईओ, गोवा को संबद्ध किया गया है. 3 कटावग्रस्त तटीय स्थलों (गोवा राज्य में 2 और महाराष्ट्र में 1) पर सीएमआईएस के कार्यान्वयन हेतु के.ज.आ., एनआईओ, गोवा और संबंधित राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. परियोजना की तीन वर्षों की अवधि में परियोजना के दौरान प्राप्त ज्ञान के प्रसार जिसमें तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और तटीय संरक्षण से संबंधित केंद्र सरकार के संगठनों के लाभ के लिए तटीय संरक्षण कार्यों का डिजाइन, एसओपी, डेटा संग्रह विधियां आदि शामिल है, के लिए तीन कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना है.

इस संबंध में एनआईओ, गोवा ने 21.09.2020 को वेबिनार के रूप में पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में तटीय कटाव और प्रबंधन, तटीय पैरामीटर और उनको मापने के लिए उपकरणों से संबंधित विषय शामिल किए गए हैं. प्रशिक्षण में के.ज.आ. और विभिन्न समुद्री राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया.




भारत आस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक

जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में भारत—आस्ट्रेलिया एमओयू सहयोग के अंतर्गत 22.09.2020 को संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक हुई. आस्ट्रेलिया की ओर से सुश्री लिन ओ'कोनेल पीएसएम, उप—सचिव, जल, जलवायु अनुकूलन, प्राकृतिक आपदा और अंटार्कटिका समूह, कृषि, जल और पर्यावरण विभाग तथा भारत की तरफ से सुश्री देवश्री मुखर्जी, अतिरिक्त सचिव, ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त कार्य समूह की सह—अध्यक्षता की. भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त, माननीय बैरी ओ' कैरेल एओ ने संयुक्त कार्यसमूह को जानकारी दी और संबोधित किया.

इसके बाद आस्ट्रेलिया की ओर से श्री एडम सिनकाक, निदेशक, इंटरनेशनल इनगेजमेंट एंड अर्बन वाटर, कृषि, जल और पर्यावरण विभाग ने जेडब्ल्यूजी को आस्ट्रेलिया में जल प्रबंधन—वर्तमान प्राथमिकताओं और मुद्दों के बारे में जानकारी दी. डॉ. निक स्कोफील्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप ने जुलाई 2018 में पिछले जेडब्ल्यूजी से लेकर अब तक वाटर इनगेजमेंट एक्टिविटी की अद्यतन स्थिति पर जानकारी दी.

भारतीय पक्ष से श्री एस.के. हलधर, सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना और ब्राह्मणी वैतरनी आईडब्ल्यूआरएम अध्ययन के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी. श्री संजय मारवा, सदस्य, सीजीडब्ल्यूबी ने मारवी परियोजना के बारे में जानकारी दी.



एनडब्ल्यूआईसी रणनीतिक परिचालन योजना (एसओपी), स्ट्रीम फ्लो फोरकास्टिंग पर मौसम विज्ञान ब्यूरो (बीओएम) का क्षमता विकास कार्यक्रम, सीडब्ल्यूपीआरएस में हाइड्रोमेट परीक्षण, अंशांकन एंड प्रमाणन सुविधा (टीसीसीएफ) प्रयोगशाला की स्थापना के मुद्दों पर चर्चा की गई. सहयोग हेतु मुख्य प्राथमिकताओं के अंतर्गत भारतीय पक्ष ने पैराग्राफ III फार्मा के अंतर्गत हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अध्ययन दौरों, शिक्षा और ज्ञान साझा करने, बांध डिजाइन और निर्माण तथा बांध सुरक्षा पहलुओं आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए इच्छा दिखाई. दोनों पक्ष, लगातार संपर्क बनाए रखने और एमओयू के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सहमत हुए.

डाटा कार्नर

के.ज.आ. की 1548 एचओ साइटों का सितम्बर 2020 तक बेसिनवार ब्यौरा

क्रम सं.	बेसिन का नाम	जी	जीबी	जीडी क्यू	जी डीएस	जीडी एस क्यू	जी क्यू	समय योग
1	ब्राह्मणी वैतरनी	12				11	1	24
2	कावेरी		13	17		24		54
3	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	13	2			5		20
4	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ		19	10		8		37
5	गंगा/ब्रह्मपुत्र/मेघना/बराक	250	206	72	24	164	91	807
6	गोदावरी बेसिन	48	43	13		32	4	140
7	सिन्धु बेसिन	23	16	3	11	8		61
8	कृष्णा	14	14	12		29	3	72
9	महानदी	30	2	1		22		55
10	माही	10	4	2		3		19
11	म्यानमर और बंगलादेश में निकासी करने वाली छोटी नदियाँ	3	7		3	4		17
12	नर्मदा	18	37	5		10	1	71
13	पेन्नार		4	4		4		12
14	साबरमती	7	4	1		1		13
15	सुबर्णरेखा	6	2	1		6		5
16	तापी	17	18	1	1	3		40
17	टाडरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ		16	9		26		51
18	तापी से टाडरी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	7	6	4		5		22
19	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	3	10	2		3		18
20	राजस्थान में अन्तर्देशीय जल निकासी वाले क्षेत्र							
	समय योग	461	423	157	39	368	100	1548

उत्तर कोयल परियोजना के लिए टीईसी बैठक

उत्तरी कोयल परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्या को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 28वीं बैठक सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से 25.09.2020 को के.ज.आ., नई दिल्ली में आयोजित की गई. ज.सं.वि., के.ज.आ. मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों, सीएसआरएमएस, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों तथा वाफ्कोस के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया.

बैठक के दौरान, डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार ने बताया कि पिकेट के निर्माण के दौरान सुरक्षा प्रदान की जाएगी. वाफ्कोस ने यह भी बताया कि सुरक्षा कर्मियों के लिए शिविर/



अवसादन दर (सेडिमेंटेशन रेट) और तलछट परिवहन (सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट) की भौतिक आधार पर गणितीय माडलिंग

के.ज.आ., राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत सात नदी घाटियों नामतः रामगंगा, बराक, नर्मदा, कावेरी सहित पश्चिमी घाटों में पश्चिम की ओर बहने वाली तीन नदियों नामतः कुट्टीयादीपुझा, पीची और मंगलम बेसिन में अवसादन दर और तलछट परिवहन के आकलन के लिए भौतिक आधार पर गणितीय माडलिंग के लिए परामर्शी सेवाओं को अनुबंधित करने की प्रक्रिया में है.

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम और भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की जानकारी से संबंधित मामला

अधीनस्थ विधान पर समिति की एक बैठक समिति कक्ष '2', ब्लाक 'ए' एक्सटेंसन आफ पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली में दिनांक 24.09.2020 को निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हेतु आयोजित हुई :

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत और समय-समय पर यथासंशोधित 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए नियम/विनियम, तथा

2. भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के मामले से संबंधित नियम/विनियम. इस बैठक में ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि. के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक में सचिव, ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि., संयुक्त सचिव (आरडीएंडपीपी), ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि., सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और मुख्य अभियंता(आईएमओ), के.ज.आ. ने भाग लिया. संयुक्त सचिव (आरडीएंडपीपी), ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि. ने समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अधिनियम 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए नियमों/विनियमों पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी. समय-समय पर यथासंशोधित अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाए गए नियमों पर एक संक्षिप्त नोट, आईएमओ, के.ज.आ. द्वारा ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि. को दिया गया.

सीजीडब्ल्यूए अधिसूचना

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए), ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय ने भूजल के विनियमन के लिए भारत में भूजल दोहन को विनियमित और नियंत्रित करने के नए दिशानिर्देशों को 24.09.2020 को अधिसूचित किया है. प्राधिकरण उद्योगों के लिए भूजल दोहन, संरचनात्मक परियोजनाओं, खान परियोजनाओं आदि हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने के माध्यम से भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित कर रहा है. इसने उन बाईस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में समय-समय पर इस संबंध में दिशानिर्देश बनाए हैं, जहां संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा भूजल विकास को विनियमित नहीं किया जा रहा है. यह अधिसूचना 10 घन मी/दिन जल लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं, ग्रामीण पेयजल योजनाओं, सशस्त्र बलों, किसानों और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को सीजीडब्ल्यूएमए से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देती है. पूर्ण अधिसूचना को निम्न लिंक से देखा जा सकता है.

www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221952.pdf



आरएमसी में पेवर द्वारा अस्तरिकरण

पिकेट के निर्माण के लिए पहले ही निविदा जारी की जा चुकी है. टीईसी ने बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से भी तकनीकी टीम द्वारा अनुशंसित आरएमसी के पूर्ण अस्तर (लाइनिंग) के मुद्दे पर जल्द से जल्द अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा है.

उपरोक्त के अलावा कार्यसूची की अन्य महत्वपूर्ण मदों जैसे कि भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वाफ्कोस द्वारा परियोजना के बाकी कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, दाँए मुख्य नहर (आरएमसी) में नहर अस्तरण में एनडीपीई शीट की मोटाई के मुद्दे, परियोजना के बाँए मुख्य नहर की कंडी वितरण प्रणाली का डिजाइन और आरेखण आदि पर चर्चा हुई.

अवसादन दर (सेडिमेंटेशन रेट) और तलछट परिवहन (सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट) की भौतिक आधार पर गणितीय माडलिंग

इस संबंध में अध्यक्ष, के.ज.आ. के समक्ष 04.09.2020 को एक प्रस्तुति दी गई जिसमें "अवसादन दर और तलछट परिवहन के भौतिक आधार पर गणितीय माडलिंग की परामर्शी सेवाओं" हेतु उद्देश्यों और प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया. यह प्रस्तुतिकरण निदेशक जल विज्ञान(मध्य) द्वारा दिया गया और इसमें सदस्य(आरएम), के.ज.आ. और निदेशक आरडीसी-1 ने भी भाग लिया.

धरोई जलाशय का अवसादन अध्ययन

रिमोट सेंसिंग निदेशालय, के.ज.आ. ने माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करते हुए सितम्बर 2020 में धरोई (साबरमती) जलाशय, गुजरात का स्वतः सेडिमेंटेशन आकलन अध्ययन पूरा किया। भारत में उत्तरी गुजरात के धरोई, खेरालु तालुका, मेहसाणा जिले के पास साबरमती नदी पर धरोई बांध एक ग्रेविटी डैम है। वर्ष 1976 में निर्मित यह बांध सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए है। जलाशय का अपस्ट्रीम में अपवाह क्षेत्र लगभग 5475 वर्ग किमी है। वर्ष 1976 में प्रथम भराव के समय धरोई जलाशय की मूल सकल और सक्रिय भंडारण क्षमता क्रमशः 907.83 एमसीएम और 778.31 एमसीएम थी।

अब यह अनुमान लगाया गया है कि 189.59 मी एफआरएल के लिए वर्ष 2020 में धरोई जलाशय की सक्रिय भंडारण क्षमता 682.11 एमसीएम है जो वर्ष 1976 से 2020 के दौरान 44 वर्षों में 96.20 एमसीएम (अर्थात 12.36 प्रतिशत) की सक्रिय

सितम्बर 2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2020 से शुरू हुई। 01 मई से 30 सितम्बर की अवधि के दौरान 10209 पूर्वानुमान (7483 स्तर और 2248 अंतर्वाह) जारी किए गए जिनमें से 9643 (7395 स्तर और 2726 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 94.45 प्रतिशत सटीकता के साथ सटीकता की सीमा में थे। दिनांक 30.09.2020 तक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से सितम्बर माह में 233 आरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) और 21 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2020 से 30.09.2020 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

छह एफएफ स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्रम सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन
1.	असम	शिवसागर	डिखो	शिवसागर
2.	बिहार	गोपालगंज	गंडक	डुमरियाघाट
3.		मुजफ्फरपुर	गंडक	रेवाघाट
4.		समस्तीपुर	बूढ़ी गंडक	रोसेरा
5	ओडिशा	बालासोर	सुवर्णरेखा	मथानी रोड ब्रिज
6	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	गोदावरी	चिनटुरु

27 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

एफ एफ स्टेशनों के लिए गंभीर बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों के 88 एफएफ स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और पृष्ठभूमि

एनएचपी के तहत " बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन" के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं के चयन हेतु एक प्री-बीड बैठक इच्छुक बोलीदाताओं के साथ कार्य के संबंध में किसी भी प्रश्न को स्पष्ट और संक्षिप्त करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 29.09.2020 को आयोजित की गई। समिति की अध्यक्षता मुख्य अभियंता, एचएसओ, के.ज.आ. द्वारा हुई जबकि निदेशक, आरडीसी-1, निदेशक (वित्त), निदेशक, जल विज्ञान(सी) तथा उप-निदेशक, जल विज्ञान(सी) इसके सदस्य हैं। बैठक के दौरान, उपस्थित बोलीकर्ताओं द्वारा किए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया।

गांधी सागर बांध के बांध सुरक्षा उपायों पर बैठक

दिनांक 12.06.2020 और 04.08.2020 को हुई पिछली बैठकों के अनुक्रम में डा. आर.के. गुप्ता, सदस्य(डीएंडआर) की अध्यक्षता में गांधी सागर बांध की बांध सुरक्षा उपायों पर व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा के लिए तीसरी बैठक 30.09.2020 को के.ज.आ., मुख्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में श्री एस.के. सिब्बल (मुख्य अभियंता, डीएसओ), श्री अनिल जैन (निदेशक, ईएमबी(एनएंडडब्ल्यू) निदेशालय) तथा के.ज.आ. के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पीएमएफ को समायोजित करने हेतु बाढ़ न्यूनीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन एनएंडडब्ल्यू इकाई द्वारा इस बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं -

- 1.98 के उच्च सीडी विल्यू आने के लिए कम से कम ईएल 401.1 मीटर तक फाटक



भंडारण हानि को प्रदर्शित करता है। यह वर्ष 1976 से प्रति वर्ष 0.281 प्रतिशत सक्रिय भंडारण क्षमता की हानि है।

सामान्य से ऊपर की बाढ़ स्थिति

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के 32 एफएफ स्टेशनों पर सामान्य से ऊपर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

पूर्वानुमान जारी करने की निर्धारित सीमा से ऊपर के अंतर्वाह वाले जलाशय

पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 82 जलाशयों में पूर्वानुमान जारी करने की निर्धारित सीमा से ऊपर अंतर्वाह प्राप्त हुआ।



बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और पृष्ठभूमि

ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आयुक्त(एफएम), ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि., मुख्य अभियंता(एचएसओ), के.ज.आ., निदेशक, एनआईएच, बिहार सरकार के प्रतिनिधि और निदेशक(वित्त) सदस्य हैं।

समिति की पहली बैठक 20.02.2020 को के.ज.आ.(मुख्यालय), नई दिल्ली में आयोजित की गई। परामर्श के माध्यम से किए जाने वाले स्वतंत्र अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय के मसौदे पर विस्तृत चर्चा की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय को अंतरिम रूप दिया।

व्यवहार्यता रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए

तल (गेट बाटम) के ऊपर उठाने के सुविधा के लिए स्तंभों में संशोधन आवश्यक है।

- किसी भी संभावित हाइड्रोस्टैटिक दबाव को झेलने के लिए पैरापट दीवार को मजबूत करने की आवश्यकता।
- पैरापट दीवार को वर्तमान ऊंचाई 1.25 मीटर से 1.50 मीटर तक ऊँचा करना।
- लॉगीट्यूडनल बीम में दी गई कोई भी खिड़की/छिद्र बंद होनी चाहिए।
- एफआरएल से नीचे 1.0 मीटर तक जलाशय का पूर्व-अवक्षयन (प्री-डिपलिशन)।
- अग्रिम बाढ़ चेतवनी प्रणाली में आने वाली बाढ़ के बारे में पूर्व सूचना का होना।

जल संसाधन मंडल परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) के मानकीकरण रणनीतिक रोड मैप की तैयारी के लिए कार्यसमूह की बैठक

कार्यसमूह निम्नलिखित कार्य करेगा :

■ पांच वर्षों के मानकीकरण कार्य हेतु प्राथमिकता वाले व्यापक विषय क्षेत्रों की पहचान करना और खंड समितियों व मंडल परिषद द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को परिभाषित करना.

■ कार्य समूह मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) के अंतर्गत पहचानी गई परियोजनाओं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, मानकीकरण में कमियों और मंडल परिषद के रणनीतिक रोड मैप पर संकल्पना नोट को ध्यान में रखेगा.

सीएमडीडी (ईएंडएनई) निदेशालय अपने रणनीतिक रोड मैप के विकास में शामिल है.

श्रीसैलम बांध की डिजाइन बाढ़ समीक्षा

पिछले कुछ वर्षों में के.ज.आ. ने बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के अंतर्गत विभिन्न बांधों की डिजाइन बाढ़ की समीक्षा की है. हाल ही में श्रीसैलम बांध की डिजाइन बाढ़ समीक्षा शुरू की गई है. बांध का कुल अपवाह क्षेत्र लगभग 2,10,000 वर्ग किमी है. यह परियोजना कृष्णा बेसिन में स्थित है. इसे 261 उप-जलग्रहण क्षेत्र में विभाजित किया गया है. विश्लेषण के लिए लगभग 1,58,000 वर्ग किमी के क्षेत्र वाले आत्माकौर के बड़े तूफान (28 से 30 सितम्बर 1964) को चुना गया है.

एसएजी स्तर पर पदोन्नति

श्री डी.एम. रायपुरे और श्री पद्मा दोरजे को केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में पदोन्नत किया गया. श्री डी.एम. रायपुरे को केआरएमबी, हैदराबाद के सदस्य सचिव के पद पर तैनात किया गया. श्री पद्मा दोरजे की तैनाती आदेश ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि. द्वारा बाद में जारी किया जाएगा.

आईएमसीटी दौरे

दक्षिण पश्चिमी मानसून-2020 के दौरान बाढ़/भूस्खलन के कारण स्थिति का मौके पर आकलन करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन किया गया है. साथ ही कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य के लिए खरीफ 2020 के दौरान कीट हमले के मद्देनजर स्थिति का आकलन करने के लिए एक आईएमसीटी का गठन किया है. इन आईएमसीटी में ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए के.ज.आ. के अधिकारियों को नामित किया गया.

अगस्त माह के बाद आईएमसीटी ने सितम्बर 2020 में भी प्रभावित राज्यों का दौरा किया. कुछ राज्यों में आईएमसीटी के सदस्यों ने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की. उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ भी बैठकें की और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित जिलों का दौरा भी किया. उनके दौरो का विवरण नीचे संक्षेपित किया गया है.

क्रम सं.	राज्य	दौरे की अवधि	जल शक्ति मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी	दौरे में शामिल किए गए जिले
1	अरुणाचल प्रदेश	1 से 2 सितम्बर	श्री अभिषेक सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., शिलांग	लोअर दिबांग वैली, पूर्वी सियांग
2	बिहार	2 से 4 सितम्बर	श्री संजीव कुमार सुमन, निदेशक, के.ज.आ., पटना	गोपालगंज, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा
3	कर्नाटक	07 से 09 सितम्बर	श्री गुरु प्रसाद जे., अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., बेंगलुरु	बैलागावी, धारवाड़, कोडागु, गडग, बागलकोट
4	मध्य प्रदेश	10 से 12 सितम्बर	श्री मनोज तिवारी, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., भोपाल	सिहोर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, हरदा
5	महाराष्ट्र	11 से 13 सितम्बर	श्री एम.एस. सहारे, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., नागपुर	चंद्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर, भंडारा एवं गोंदला
6	ओडीशा	16 से 17 सितम्बर	श्री अमरीश पाल सिंह, अधीक्षण अभियंता, के.ज.आ., भुवनेश्वर	भद्रक, जयपुर, केन्द्रपाडा, पुरी
7	उत्तर प्रदेश	19 से 22 सितम्बर (पहला दौरा)	श्री बी.सी. विश्वकर्मा, के.ज.आ., लखनऊ	आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बाराबंकी, बहराईच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर

यह एक दस्तावेज है जो अपने कार्य क्षेत्र में राष्ट्रीय मानकीकरण के अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करेगा और पांच वर्षों के परिप्रेक्ष्य के साथ एक व्यापक मानकीकरण रोडमैप प्रदान करेगा. इस संबंध में 17.09.2020 को एक बैठक की गई.

संरचनात्मक सुरक्षा खंड समिति की दसवीं बैठक, सीईडी 37

संरचनात्मक सुरक्षा खंड समिति की दसवीं बैठक डा. एन. लक्ष्मणनन, (व्यक्तिगत क्षमता में), चेन्नई की अध्यक्षता में मानक भवन, नई दिल्ली में 17.09.2020 को आयोजित की गई. वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीमती सीमा पांडे, उप निदेशक, सीएमडीडी निदेशालय ने इस बैठक में भाग लिया. इस बैठक में 34 विभिन्न संगठनों के अधिकारियों ने प्रकाशित भारतीय मानक कोड में विभिन्न डिजाइन पहलुओं तथा उनमें बदलाव का सुझाव और अपनाए जाने पर चर्चा की.



अनुसरण हेतु वेबलिंग

के.ज.आ. के सहयोग से गूगल द्वारा बनाए गए फ्लड अलर्ट डैशबोर्ड का अनुसरण करने हेतु वेबलिंग को निम्न लिंक से देखा जा सकता है

<https://datastudio.google.com/s/vNyXgDiLzDk>



बिहार



मध्य प्रदेश



उत्तर प्रदेश



महाराष्ट्र



ओडिशा



कर्नाटक



अरुणाचल प्रदेश



उत्तर प्रदेश

महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईआरआई), नासिक द्वारा रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम में तेईस (23) जलाशयों का अवसादन आकलन अध्ययन

रिमोट सेंसिंग निदेशालय ने अप्रैल 2019 में महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एमईआरआई), नासिक को सैटलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से 23 जलाशयों के अवसादन मूल्यांकन अध्ययन के काम को आउटसोर्स किया था.

अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है और इसकी रिपोर्ट सितम्बर 2020 में प्राप्त हुई है. परिणामों का विस्तृत सारांश संलग्न है.

* हाइड्रोग्राफिक सर्वे की सिफारिश की गई, क्योंकि सक्रिय क्षमता में वृद्धि पाई गई.

**हाइड्रोग्राफिक सर्वे की सिफारिश की गई, क्योंकि सक्रिय भंडारण क्षमता में अत्यधिक कमी है.

हाइड्रोग्राफिक सर्वे की सिफारिश की गई, क्योंकि किए गए मध्यवर्ती अध्ययन के परिणाम वर्तमान अध्ययन के साथ असंगत हैं.

नीचे 10 मीटर के लिए सेटलाइट इमेज उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे की भी सिफारिश की जाती है.

क्रम सं.	परियोजना का नाम (राज्य का नाम)	नदी का नाम	अवरोधन (इमपाउंडमेंट) का वर्ष	वर्तमान सर्वेक्षण का वर्ष (रिमोट सेंसिंग)	सक्रिय भंडारण (मूल) एमसीएम	वर्तमान सक्रिय क्षमता (एमसीएम)	सक्रिय भंडारण क्षमता में कमी (एमसीएम)	सक्रिय क्षमता में कुल कमी का प्रतिशत	सक्रिय क्षमता में कमी का औसतन वार्षिक प्रतिशत	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	मान (मध्य प्रदेश)	मान	2006	2019	129.48	110.80	18.68	14.43	1.11	--
2	पियदर्शिनीजुराला (तेलंगाना)	कृष्णा	1996	2018	192.07	164.772	27.298	14.21	0.646	--
3	उज्जानी (महाराष्ट्र)	भीमा	1977	2018	1517.20	1347.074	170.126	11.21	0.273	--
4	भाटघर (महाराष्ट्र)	येलवंदी	1926	2017	665.570	603.277	62.293	9.36	0.103	--
5	बरना (मध्य प्रदेश)	बरना	1975	2017	455.80	401.753	54.047	11.86	0.282	--
6	भंडारदारा (महाराष्ट्र)	प्रवारा	1926	2019	304.130	307.598	3.498 (वृद्धि)	--	-	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत*
7	नागवा (उत्तर प्रदेश)	कर्मनासा	1950	2017	64.408	57.322	7.086	11.00	0.16	अध्ययन में केवल लगभग 62% सक्रिय भंडारण क्षमता ही शामिल
8	खारंग (छत्तीसगढ़)	खारंग	1931	2018	192.32	155.53	36.79	19.13	0.222	--
9	वेन्नीथोरा (कर्नाटक)	वेन्नीथोरा	2001	2017	140.70	114.015	26.685	18.97	1.19	--
10	मेजा (उत्तर प्रदेश)	बेलन	1974	2018	300.725	258.362	42.363	14.09	0.32	--
11	सिपू (गुजरात)	सिपू	1992	2018	156	136.907	19.093	12.24	0.471	--
12	सिंगूर (तेलंगाना)	मनजीरा	1989	2019	822.46	812.037	10.423	1.27	0.042	--
13	मूरमसिल्ली (छत्तीसगढ़)	सिलयारी नाला	1923	2019	161.913	147.309	14.607	9.02	0.094	--
14	निजामसागर (तेलंगाना)	मंजीरा	1992	2017	504.12	560.602	56.482 (वृद्धि)	--	-	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत*
15	मोदहा (उत्तर प्रदेश)	विरमा सहायक नदी	1991	2019	179	177.73	1.270	0.71	0.026	--
16	हटनूर (महाराष्ट्र)	तापी	1982	2017	255	125.449	129.551	50.80	1.45	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत**
17	नाथसागर (महाराष्ट्र)	गोदावरी	1976	2019	2170.935	2058.582	112.353	5.18	0.120	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत#
18	येलुरु (आंध्र प्रदेश)	येलुरु	1991	2018	508.30	508.131	0.169	0.03	0.001	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत#
19	मनीमुथार (तमिलनाडु)	मनीमुथार	1958	2018	155.821	157.701	1.880 (वृद्धि)	--	-	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत#
20	करंजा (कर्नाटक)	करंजा	1989	2019	207.05	222.243	15.190 (वृद्धि)	--	-	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत*
21	शहजाद (उत्तर प्रदेश)	शहजाद	1992	2018	118.930	118.809	0.121	0.10	0.004	--
22	अवलांच (तमिलनाडु)	अवलांच स्टीम	1961	2017	60.61	57.53	3.080	5.08	0.091	--
23	कन्हार (महाराष्ट्र)	वीना	1987	2018	271.680	268.086	3.594	1.32	0.042	हाइड्रोग्राफिक सर्वे संस्तुत##

सितम्बर 2020 तक के.ज.आ. से संबंधित धर्मनगर ड्रेनेज डवलपमेंट स्कीम, विभिन्न योजनाओं/घटक की वित्तीय त्रिपुरा (रु. करोड़)

क्रम सं.	योजना/घटक का नाम	बीई 2020-21	व्यय	व्यय (% में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास)डीडब्ल्यूआरआईएस(140.00	45.884	32.77%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जाँच)आईडब्ल्यूआरडी(12.00	2.766	23.05%
3	बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्रों का कार्यक्रम)एफएमबीएपी(23.910	4.402	18.41%
4	अवसंरचनात्मक विकास योजनाएं	20.200	0.039	0.19%
5	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	14.6225	2.8109	19.22%
6	बांध पुनर्बास एवं सुधार परियोजना	18.46	8.84	47.89%

त्रिपुरा में धर्मनगर ड्रेनेज डवलपमेंट स्कीम नाम से एक बाढ़ सुरक्षा योजना ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई है और यह के.ज.आ. (मुख्यालय) में मूल्यांकन की प्रक्रिया में है. जूरी उप-बेसिन का धर्मनगर जल निकासी संकुचित क्षेत्र उत्तर में पहाड़ियों, पूर्व में काकडी-जूरी नदी, पश्चिम में सुखनाचेरा और इसके दक्षिण में पहाड़ियों से घिरा है. द्विभाजित नदी धर्मनगर शहर से होकर बहती है. मानसून के दौरान जब जूरी में अत्यधिक बाढ़ होती है तब इसकी दो सहायक नदियों नामतः हाफलोंगचेरा और सुखनाचेरा से बहाव को अपर्याप्त प्रवाह क्षमता के कारण जूरी द्वारा नहीं निकाला जा सकता है. फलतः धर्मनगर क्षेत्र में जल जमाव के साथ-साथ बाढ़ भी आ जाती है. हाफलोंगचेरा और सुखनाचेरा के पानी का निकास इसकी अपर्याप्त बहने की क्षमता के कारण अत्यंत लंबा समय लेता है जिससे क्षेत्र में लंबे समय तक नाला जमा रहता है. तदनुसार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने धर्मनगर कस्बे में उपरोक्त जमाव के मुद्दों के समाधान के लिए 27.12 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की है. त्रिपुरा में धर्मनगर ड्रेनेज डवलपमेंट स्कीम के लिए 29.09.2020 को वर्चुअल क्षेत्रीय दौरा किया गया.

उत्तराखंड में एनटीपीसी की लोहारी नागपाला परियोजना के लिए अधिकार प्राप्त समिति की बैठक

श्री एस.के. सिब्बल, मुख्य अभियंता(एनएंडडब्ल्यू) ने अतिरिक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया. की अध्यक्षता में उत्तराखंड को एनटीपीसी लोहारी नागापाला परियोजना के लिए


जलाशय प्रबोधन

केन्द्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश भर के 123 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और हर वृहस्पतिवार को एक बुलेटिन जारी करता है। इन जलाशयों में से 43 जलाशयों में 60 मे.वा. से अधिक की संस्थापित क्षमता का जल विद्युत लाभ है। इन 123 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 171.090 बीसीएम है, जो देश में निर्मित अनुमानित 257.812 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता का लगभग 66.36 प्रतिशत है।

दिनांक 24.09.2020 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 147.293 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 86 प्रतिशत है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान उपलब्ध सक्रिय भंडारण 148.301 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों में सक्रिय औसत भंडारण 128.21 बीसीएम था। इस प्रकार से 24.09.2020 के बुलेटिन के अनुसार इन 123 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय भंडारण का 99 प्रतिशत है और पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 115 प्रतिशत है।

ईचा बांध का निर्माण

वर्ष 1990 से लंबित सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ईचा बांध का निर्माण कार्य आखिरकार शुरू होगा। इस परियोजना का वित्तपोषण पीएमकेएसवाई - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत किया जा रहा है। के.ज.आ. परियोजना के लिए डिजाइन परामर्श प्रदान कर रहा है। ईचा बांध का निर्माण सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के चार घटकों में से एक है। अन्य घटकों में चांडिल बांध, खरकई बैराज और गलुडीह बैराज का निर्माण था। चांडिल बांध व गलुडीह बैराज का निर्माण पूरा हो गया है और खरकई बैराज भी पूर्ण होने वाला है।



राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग की प्रगति से संबंधित बैठक

परिचय/पृष्ठभूमि

राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर का प्रवाह सतलज और ब्यास नदियों के संगम के अनुप्रवाह क्षेत्र में निर्मित हरिके हेड वर्क्स के अपस्ट्रीम से शुरू होता है। 5439 क्यूसेक क्षमता वाला सरहिंद फीडर पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों को लाभान्वित करता है। राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए इसकी टेल की क्षमता 1668 क्यूसेक है। सिंचाई के अलावा सरहिंद फीडर पंजाब और राजस्थान राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पीने का पानी प्रदान करता है। 18500 क्यूसेक क्षमता वाला राजस्थान फीडर विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी प्रदान करने के लिए है, जो राजस्थान राज्य के कमान क्षेत्र में स्थित है। सिंचाई के अलावा राजस्थान फीडर राजस्थान राज्य में पीने का पानी उपलब्ध कराता है। राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर समानांतर रूप से एक ही किनारे से बहते हैं। इन दोनों नहरों का निर्माण कार्य 50 के दशक के अंत में शुरू किया गया था और 60 के दशक के मध्य में पूरा किया गया। दोनों फीडरों का निर्माण अस्तरयुक्त चैनलों के रूप में किया गया था जिसमें ईट की टाइलें थीं। फिर भी सीपेज होना जारी रहा जो हाल के दिनों में अस्तर (लाइनिंग) में क्षति के कारण और बढ़ गया है।

सदस्य(डब्ल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. ने 02.09.2020 को राजस्थान फीडर की आरडी 179000 फीट से 496000 फीट तक और सरहिंद फीडर में 119700 फीट से 447927 फीट तक रीलाइनिंग के लिए कार्यों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु के.ज.आ. नई दिल्ली में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ-परियोजना समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा के लिए गए मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :-

क. वित्तीय वर्ष 2020-21 व 21-22 के दौरान सरहिंद फीडर की प्रगति और किए जाने वाले कार्यों की स्थिति

1. आरडी 386000 से आरडी 447927 तक सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग हेतु कार्य 16.11.2019 से 20.12.2019 तक बंद के दौरान किया गया। आरडी 386000 से आरडी 441350 तक का कार्य पूर्ण हो गया था (लगभग 18 किमी) परन्तु आरडी 441350 से आरडी 447927 (लगभग 2 किमी) तक रीलाइनिंग का शेष कार्य समय की कमी के कारण नहीं किया जा सका। आरडी 441350 से आरडी 447927 (2 किमी) तक का शेष कार्य अक्टूबर-नवम्बर 2020 की बंद अवधि के दौरान किया जाएगा। सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग हेतु 03.2020 तक व्यय किया गया कुल खर्च 80.70 करोड़ रुपए है।

2. पहले की योजना के अनुसार 15 किमी के क्षेत्र में रीलाइनिंग का कार्य अप्रैल से मई 2020 तक बंद अवधि में चालू वर्ष के दौरान किए जाने का प्रस्ताव था लेकिन महामारी कोविड-19 के कारण यह कार्य नहीं हो सका। इसलिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है और नए कार्यक्रम के अनुसार आरडी 258170 से 386000 (39 किलोमीटर) और आरडी 119700 से 258170 (42 किमी) तक का कार्य अब क्रमशः अक्टूबर-नवम्बर 2020 और अक्टूबर-नवम्बर 2021 (प्रत्येक 45 दिनों की बंद अवधि) के दौरान

दो चरणों में किया जाएगा। सभी कार्यों के लिए निविदाएं (2020 और 2021 दोनों की बंद अवधि के लिए) आमंत्रित की गई हैं।

ख. वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान राजस्थान फीडर के लिए किए जाने वाले कार्यों की स्थिति

1. पहले रीलाइनिंग का कार्य 3 चरणों में मार्च-जून 2020 के दौरान 28 किमी, मार्च-जून 2021 के दौरान 34 किमी एवं मार्च-जून 2022 के दौरान 34 किमी पूर्ण करने का प्रस्ताव था। सम्पूर्ण कार्य को 7 हिस्सों में बांटा गया है जो वार्षिक आधार पर किया जाना है। महामारी कोविड-19 के कारण मार्च-जून 2020 की बंद अवधि के दौरान आरएफ के लिए रीलाइनिंग का कार्य नहीं किया जा सका।
2. अब रीलाइनिंग कार्य को 2 चरणों में किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें पहले चरण में 54 किमी (लगभग) आरडी 496000 से आरडी 314000 तक मार्च-जून 2021 के दौरान और आरडी 314000 से आरडी 179317 लगभग 42.50 किमी, मार्च-जून 2022 के दौरान अगले चरण के लिए प्रस्तावित है।
3. सभी क्षेत्रों में कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और कार्य सौंप दिया गया है। स्लाइस संख्या 5 के लिए सिर्फ एक ही निविदा प्राप्त हुई थी इसलिए इसे निरस्त करना पड़ा और निविदाएं पुनः आमंत्रित की जा रही हैं। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र हेतु निविदा की प्रक्रिया दिसम्बर 2020 तक पूरी कर ली जाएगी।

ग. राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दे

राजस्थान सरकार को मार्च से जून तक 70 दिनों के बंद के दौरान जोधपुर सहित 10 से 12 शहरों में घरेलू उपयोग हेतु नियमित जल आपूर्ति की आवश्यकता है। पंजाब सरकार एसएफ की फ्रीबोर्ड क्षमता प्रयोग करके 2000 क्यूसेक पानी प्रदान करने के लिए सहमत हुई है। 650 क्यूसेक शेष जल आपूर्ति के लिए जैसा कि पहले दौरे के दौरान विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति द्वारा कई विकल्पों का सुझाव दिया गया है जहां भी संभावित है उस पर विचार करना और क्रियान्वित करना होगा।

परियोजना के लाभ

1. सीसीए - 621000 हे.
2. एसएफ की रीलाइनिंग के बाद 256 क्यूसेक पानी की बचत होगी।
3. बचत पानी का उपयोग करके पंजाब के 44177 हेक्टेयर और राजस्थान के 10371 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है।
4. यह पंजाब और राजस्थान राज्यों में कुछ क्षेत्रों को पीने का पानी भी प्रदान करता है।

राजस्थान फीडर परियोजना के सिंचाई पहलू निम्नानुसार हैं :-

1. सीसीए - 1963000 हे.
2. आरएफ की रीलाइनिंग के बाद 560 क्यूसेक पानी की बचत होगी।
3. बचत पानी के इस्तेमाल से रबी में 51131 हेक्टेयर और राजस्थान में 47608 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई की जा सकती है।

इतिहास - सिंधु जल संधि

सितम्बर माह में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के अस्तित्व के 60 वर्ष पूर्ण हुए। सिंधु जल संधि, 1960 पर भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 19.09.1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे।

संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के जल उपयोग पर दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित और सीमांकित किया। सिंधु जल संधि शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा समझौता है जो भौतिक रूप से नदी प्रणाली को दो राष्ट्रों के बीच विभाजित करता है और केवल एक ही है, जिसमें तीसरे पक्ष, विश्व बैंक न केवल इसकी बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि इसके कार्यान्वयन में भी प्रक्रियात्मक भूमिका रखी है।

पश्चिमी नदियों का पानी अर्थात सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत में प्रवाहित होने के दौरान अपने स्वयं के बेसिन में आवश्यक उपयोग को छोड़कर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। पूर्वी नदियों का पानी अर्थात रावी, ब्यास और सतलज का पानी, परिवर्तन की अवधि को छोड़कर जिसमें पाकिस्तान इन नदियों से प्राप्त पानी को प्रतिस्थापित करने के लिए कार्य विकसित करेगा, भारत को आवंटित किया गया था। पाकिस्तान लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग कर रहा था।

भारत, पाकिस्तान में प्रतिस्थापन कार्यों की लागत के लिए परिवर्तन अवधि के दौरान 83.3 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। यह बंटवारा 1954 में विश्व बैंक द्वारा किए गए प्रस्तावों पर आधारित था।

इस संधि पर हस्ताक्षर एक समझौते के साथ लंबी बातचीत की एक श्रृंखला द्वारा संपन्न किया गया था जिसमें न केवल 1954 विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया गया था जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था बल्कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के मध्य मई 1948 में हुए समझौते में अंतर्निहित सिद्धान्त का भी पालन किया गया।

विभाजन के बाद सिंधु बेसिन में सिंचित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा। पाकिस्तान में सिंचित क्षेत्र लगभग 8.5 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि भारत को केवल 2.0 मिलियन हेक्टेयर मिला। हालांकि, सिंधु बेसिन प्रणाली के पानी पर निर्भर जनसंख्या लगभग दोनों देशों में एक समान ही थी। मई 1948 के समझौते में यह तय किया गया था कि भारत के पास उन क्षेत्रों को विकसित करने के दायित्व हैं जहां उसके क्षेत्र में पानी की कमी थी लेकिन पाकिस्तान को दी जाने वाली आपूर्ति को धीरे-धीरे कम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान वैकल्पिक संसाधनों का दोहन कर सके। पाकिस्तान सरकार ने बाद में इस समझौते की निंदा की और कहा कि भारत पाकिस्तान को ऐतिहासिक आपूर्ति जारी रखने के लिए बाध्य है। संधि के लागू होने पर 04.05.1948 का समझौता समाप्त हो गया।

बातचीत का जरिया बनाए रखने और संधि के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए इस संधि में प्रत्येक देश के आयुक्त के साथ स्थायी सिंधु आयोग बनाने का प्रावधान है। संधि इन विवादों का हल निकालने के लिए तंत्र प्रदान करती है जिन्होंने कई विवादों का शांतिपूर्वक हल निकालने में मदद की है। अनुच्छेद 9 मतभेदों और विवादों के

एनडब्ल्यूए, के.ज.आ., पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	तारीख	स्थान	प्रतिभागी
1	राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के सहयोग से एशियाई क्षेत्र (डब्ल्यूएमओ आरए-11) के लिए मौलिक जल विज्ञान पर 6वीं अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम	27 जुलाई से 11 सितम्बर 2020	दूरस्थ शिक्षा	जल संसाधन क्षेत्र में कार्य करने वाले 137 पेशेवर एवं डब्ल्यूएमओ द्वारा नामित आरए-II क्षेत्रों के अधिकारी
2	के.ज.आ. साइट डेटा के रखरखाव पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 से 25 सितम्बर 2020	दूरस्थ शिक्षा	के.ज.आ. के 540 उप-मंडलीय अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और बक चार्ज स्टाफ
3	दूरस्थ शिक्षा साधन का उपयोग करके ईपीएमएस (परियोजना मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली) पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला	28 से 30 सितम्बर 2020	दूरस्थ शिक्षा	विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के 20 अधिकारी



लेह, भारत में सिंधु और ज़ांस्कर नदी का संगम (ज़ांस्कर — हरे रंग में)

निपटारे से संबंधित है। यदि आयोग एक विशेष समस्या का हल निकालने में असमर्थ है तो एक तटस्थ विशेषज्ञ और एक मध्यस्थता न्यायालय को संदर्भित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 दोनों सरकारों के बीच संधि के प्रावधानों को विधिवत पुष्टि संधि द्वारा समाप्त होने तक लागू रखने का प्रावधान करता है।

भारत को किसी भी मात्रात्मक सीमा के बिना अपने क्षेत्रों में पश्चिमी नदियों की जलविद्युत क्षमता का दोहन करने की अनुमति है। भारत 3.6 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) तक सीमित क्षमता के साथ पश्चिमी नदियों पर जलाशयों का निर्माण कर सकता है। संधि में भारत को पाकिस्तान को सुनिश्चित मात्रा में पानी देने की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाय भारत को संधि के अनुसार उसके द्वारा किए गए उपयोगों को छोड़कर इन नदियों में उपलब्ध पानी को पाकिस्तान में प्रवाहित करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार पानी का पूरी तरह उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में पूर्वी और पश्चिमी नदियों की कई परियोजनाओं पर विचार किया गया है जो योजना, जांच, मूल्यांकन, अनुमोदन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। रावी नदी पर शाहपुरकंडी बांध परियोजना का निर्माण जो 2014 से निलंबित था, भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद फिर से शुरू किया गया है। रावी बेसिन में उड़ा बांध योजना के उन्नत चरण में है और दूसरे रावी ब्यास लिंक की योजना भी बनाई जा रही है। पश्चिमी नदियों पर कई जलविद्युत परियोजनाएं योजना और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

सिंधु जल संधि को दुनिया की महत्वपूर्ण जल संधियों में से एक माना जाता है और इसे व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक माना जाता है।

टेलीमैट्री डाटा सत्यापन और बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों में इसके उपयोग पर बैठक

सदस्य(आरएम), के.ज.आ. ने इच्छा जताई कि 941 साइटों से टेलीमैट्री डेटा का उपयोग रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान के लिए किया जाना चाहिए। 2018 के बाद से मुख्यालय में डेटा सत्यापन के लिए एक अभ्यास शुरू किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों को भी निर्देशित किया गया था कि वे रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान में उपयोग के लिए जल स्तर और वर्षा दोनों टेलीमैट्री डाटा को सत्यापित करें। इस मामले में 24.09.2020 को सदस्य (आरएम) की अध्यक्षता में एक वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई। इसमें सभी 13 क्षेत्रीय कार्यालयों और के.ज.आ. मुख्यालय के सभी संबंधित निदेशालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में लिए गए निर्णयों को 31.10.2020 तक की गई कार्रवाई नोट प्रदान करने के निर्देश के साथ सभी कार्यालयों को परिचालित किया गया।

गनोल एचईपी मेघालय

निर्माणाधीन गनोल एच.ई. परियोजना, मेघालय (3x7.5 मेगावाट) मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में रोंग्राम और गनोल नदियों के संगम से लगभग 1.5 किमी की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना में 34 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध है, लगभग 2 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल 698 मीटर लंबी पेन्स्टॉक्स और फागुगिरी गाँव के अपस्ट्रीम पर एक पावर हाउस है ताकि लगभग 160 मीटर के सकल शीर्ष का उपयोग और 22.5 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सके।

परियोजना का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। बांध में कुल 7 ब्लाक हैं जिनमें 3 ओवरफ्लो और 4 नान-ओवरफ्लो हैं। ग्लेसिस के ईएल 330.00 तक का कंक्रीटिंग पूरा हो चुका है। पियर की ऊंचाई ईएल 331.00 मीटर तक पहुँच चुकी है। इन्टेक संरचना का निर्माण पूरा हो चुका है।

एचआरटी के इनवर्ट भाग की 1043.0 मीटर व ओवर्ट भाग की 993.0 मीटर लाइनिंग पूरी हो चुकी है। सर्ज शाफ्ट की लाइनिंग पूरी हो चुकी है। पावर हाउस में तीन में से दो ड्राफ्ट ट्यूब स्थापित हैं। स्विचयार्ड का अर्थ मैट किया जा चुका है।



केंद्रीय जल आयोग की डिजाइन (ईएंडएनई) इकाई परियोजना के बांध, जल संवाहक प्रणाली और पावर हाउस परिसर के सिविल कार्यों के लिए डिजाइन परामर्श प्रदान कर रही है। यह परियोजना मई 2022 में चालू होने के लिए निर्धारित है।

जल क्षेत्र समाचार

- ✦ मघ्र में बारिश व बाढ़ से सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान : चौहान (द पायनियर, 01.09.2020)
- ✦ 120 साल में दर्ज की गई चौथी सर्वाधिक बारिश (जनसत्ता, 02.09.2020)
- ✦ जल जीवन मिशन के जरिए अनुसंधान को दिया जाएगा बढ़ावा (राष्ट्रीय सहारा, 04.09.2020)
- ✦ जलवायु परिवर्तन से हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन (हरिभूमि, 05.09.2020)
- ✦ केरल, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु में अलर्ट (राजस्थान पत्रिका, 09.09.2020)
- ✦ बीसलपुर बांध में एक साल आपूर्ति लायक पानी आया (राजस्थान पत्रिका, 10.09.2020)
- ✦ द्रोणिका के कारण छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा बारिश का दौर (हरिभूमि, 11.09.2020)
- ✦ बीसलपुर बांध का गेज स्थिर, गेज 313.51 आरएल मीटर दर्ज (राजस्थान पत्रिका, 14.09.2020)
- ✦ दो साल से सुखी जीवनदायिनी 'जवाई', बांध में आवक जारी (राजस्थान पत्रिका, 14.09.2020)
- ✦ प्रदेश के बड़े बांधों का होगा कार्यालय (राजस्थान पत्रिका, 16.09.2020)
- ✦ नहीं बरसा पानी तो प्रभावित होगी रबी फसल (राजस्थान पत्रिका, 18.09.2020)

- ✦ साबरमती बांध ओवरफ्लो, नहरों का काम अधूरा (राजस्थान पत्रिका, 19.09.2020)
- ✦ जल जीवन मिशन योजना के तहत 113 गांवों में होंगे पानी कनेक्शन (द पायनियर, 23.09.2020)
- ✦ मानसीवाकल बांध चौथी बार लबालब (राजस्थान पत्रिका, 23.09.2020)
- ✦ लाकडाउन के दौरान, गंगा समेत पांच प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता में गिरावट (द पायनियर, 24.09.2020)
- ✦ खाड़ बांध टूटा : दर्जनों एकड़ की फसल तबाह, ग्रामीण बोले — दरार की सूचना विभाग को दी, नहीं पहुंचा कोई (हरिभूमि, 24.09.2020)
- ✦ केन—बेतवा पर सहमति बनाएंगे यूपी—मध्य प्रदेश (हिन्दुस्तान, 24.09.2020)
- ✦ सोलह साल में सबसे सूखा रहा सितंबर (जनसत्ता, 25.09.2020)
- ✦ भारी बारिश से बाढ़ के हालात, गंडक से 3.50 लाख क्यूसेक पानी किया डिस्चार्ज (हरिभूमि, 25.09.2020)
- ✦ पीएम नरामि गंगे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे (हिन्दुस्तान, 26.09.2020)
- ✦ यमुना में साल भर पानी छोड़ेगी हरियाणा सरकार (हिन्दुस्तान, 29.09.2020)
- ✦ गंगा में नहीं गिरेगा, अब दूषित पानी (जनसत्ता, 30.09.2020)

दीर्घा - हिंदी पखवाड़ा



केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध
कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी-सी) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केंद्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in

